F

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग,लखनऊ।
दूरभाष : 0522—2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522—2288655

संख्या—1345—अनु0—2/सी0ई0एच0/सीधी भर्ती—नियुक्ति/22 दिनॉक 03.06.2022

विषयः— उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)—जानपद के पद हेतु नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

1-Roll No-12111110197
BEERENDRA KUMAR S/O SOHAN SINGH, VILL SATOHA POST SATOHA TEH DEBAI DISTT BULADSHAHR- 202393, Email- veerendra1033@gmail.com

2-Roll No-12121120601
BHIM SEN S/O BALVIR SINGH, 69, CHAR BAG COLONY, GIRDHARPUR ROAD KRISHNA NAGAR, MATHURA- 281004, Email- bhimsen0095@gmail.com

3-Roll No-12151150578
BUDDH VILAS PATEL S/O KAMTA PRASAD VILL FATEHGANJ, POST FATEHGANJ, Banda - 210202, Email- patelbuddhvilas@gmail.com

4-Roll No-12151150412
ABHISHEK KUMAR SINGH PATEL S/O MITHILESH KUMAR SINGH PATEL VILL BHADAWAL POST JAMALPUR, DIST MIRZAPUR- 231302, Email- erabhishek984@gmail.com

5-Roll No-12181210285
VISHAL RATHORE S/O RAMDIYA RATHORE, H.N-687/1 HOLI CHOWK RAMPURI, Muzaffarnagar- 251002, Email- vishal1700001d@akgec.ac.in

6-Roll No-12181210367
SOMYA AGRAWAL D/O JAGDISH PRASAD, VILL- JAITPUR BELATAL MOHALLA – CHAUDHARYANA, Mahoba- 210423, Email- jhssunilkumar123@gmail.com

महोदय,

मुझे आपको सहर्ष सूचित करना है कि सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या—01/विसेआ/2021—JE/CIVIL के सन्दर्भ में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)—जानपद के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तो **(परिशिष्ट—"प")** के अधीन किया गया है।

2. आपका अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)—जानपद के रूप में प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।

3. **अभिलेखों की जाँच के समय आपको अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने अनिवार्य है :—**

03/06/22

(i) प्रमाणपत्र

(क) प्रवेश पत्र, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति सहित।

(ख) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।

(ग) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त **''कार्यमुक्ति पत्र''**, यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) किसी जनपद के सम्बन्धित मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त **''स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र''**।

(च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त **''जाति प्रमाण पत्र''** (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये **''परिशिष्ट–छ''**) (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये **परिशिष्ट–''ज''**) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये **परिशिष्ट–''झ''**)।

(ii) घोषणा पत्र

(क) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में **(परिशिष्ट –''य'')**।

(ख) पावर कारपोरेशन लि0, में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में **(परिशिष्ट –''य'')**।

(ग) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। **(परिशिष्ट –''य'')**।

(घ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण **(परिशिष्ट–''क'')** में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।

(च) पावर कारपोरेशन लि0 के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र **(परिशिष्ट–'ख')** में निर्धारित प्रपत्र पर।

(छ) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र **(परिशिष्ट –'ग')** में निर्धारित प्रपत्र पर।

(ज) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र **(परिशिष्ट –'घ')** में निर्धारित प्रपत्र पर।

(झ) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियो में) **(परिशिष्ट –'ट')** में निर्धारित प्रपत्र पर।

(ट) रू0 100.00 मूल्य के नान–जुडिशियल स्टैम्प पर (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) **(परिशिष्ट–''ठ'')** आवेदन पत्र लगी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान तथा शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित संलग्न प्रपत्रों की सत्यता सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

(iii) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तो **(परिशिष्ट–'प')** में मद सं0–3 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित तहसीलदार द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तो के मद सं0–3 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित **परिशिष्ट–'च'** के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

03/06/22

F

अवश्यमेव उपस्थिति हों। वांछित प्रमाण पत्रों एवं घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र में किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं यदि समस्त वांछित प्रमाण प्रत्रों, घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र पूर्ण होते हैं, तो आपको ऑन जॉब प्रशिक्षण हेतु डिस्काम आवंटन की सूचना ई–मेल के माध्यम से प्रदान कर दी जायेगी एवं कार्यभार ग्रहण करने एवं अग्रेतर प्रशिक्षण हेतु अपने डिस्काम में उपस्थित होना होगा। (कार्यभार ग्रहण करने एवं प्रथम तैनाती हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा)। **उपरोक्त वर्णित/वांछित समस्त प्रपत्रों के प्रारूप उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के वेबसाइट www.upenergy.in पर उपलब्ध है।**

5. यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नही होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किए जाएंगे।
7. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)–जानपद के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र के सम्बन्धित समक्ष प्राधिकारी से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है।
9. यदि भविष्य में सत्यापन किये जाने पर किसी स्तर पर कोई अभिलेख/प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है तो आपकी सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धो के अर्न्तगत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

03/06/2022

(जे0पी0एस0 गंगवार)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

03/06/22 03.06.2022

03/06/2022

पत्रांक– 1345 – अ–2/सी0ई0एच0/तद्दिनॉक 03.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2 मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3 सम्बन्धित मण्डलीय चिकित्सा परिषद को इस आशय से प्रेषित कि वे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)–जानपद के पद पर चयनित उपरोक्त अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के माध्यम से अथवा अपने स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4 वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

03.06.2022

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)